

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)वालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक - सीडर/ 2022/ 261

दिनांक - 25/8/2022

मुकदमा नंबर 4/2019

| प्रार्थीगण  | बनाम | विप्रार्थीगण   |
|---|------|--|
| 1. मांगीलाल पुत्र मानाराम<br>2. पुखराज पुत्र मानाराम<br>3. सुआदेवी बेवा मानाराम<br>4. देरामाराम पुत्र राजुराम<br>5. उम्मेदाराम पुत्र राजुराम<br>6. नरींगाराम पुत्र राजुराम<br>7. सांवलराम पुत्र राजुराम सभी जातियान माली निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज) |      | 1. राणाराम पुत्र कुम्बाराम<br>2. सोनाराम पुत्र पमाराम<br>3. योताराम पुत्र पमाराम<br>4. रणछोडराम पुत्र पमाराम<br>5. हाथीराम पुत्र पमाराम सभी कलबी चौधरी निवासी आसोतरा<br>6. मोटाराम पुत्र कुम्बाराम<br>7. प्रह्लादराम पुत्र कुम्बाराम<br>8. मोमाराम पुत्र कुम्बाराम<br>9. वृन्नीलाल पुत्र कुम्बाराम<br>10. मोहनलाल पुत्र कुम्बाराम<br>11. पमाराम पुत्र भगवानराम<br>12. खीमाराम पुत्र तिलोकाराम<br>13. मादाराम पुत्र तिलोकाराम<br>14. रणछोडराम पुत्र तिलोकाराम<br>15. कसुम्बी बेवा तिलोकाराम<br>16. मांगीलाल पुत्र हेमाराम<br>17. बंशीलाल पुत्र हेमाराम<br>18. पुखराज पुत्र हेमाराम<br>19. भवराराम पुत्र हेमाराम<br>20. उदाराम पुत्र उमाराम<br>21. नेमाराम पुत्र गुमनाराम<br>22. गणेशाराम पुत्र गुमनाराम<br>23. चम्पाराम पुत्र रामाराम<br>24. ओमप्रकाश पुत्र बस्तीराम<br>25. अमराराम पुत्र बस्तीराम<br>26. रतनाराम पुत्र बस्तीराम<br>27. गंगादेवी पत्नी बस्तीराम सभी जातियान कलबी माली निवासी आसोतरा,<br>28. रंभादेवी पत्नी जैपाराम पुत्रवधु सवाराम, जाति कलबी चौधरी, समस्त निवासीयान आसोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर<br>29. सरपंच/ सचिव, ग्राम पंचायत आसोतरा, तहसील पचपदरा बाडमेर,<br>30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर । |



आदेश

दिनांक :-25.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा आसोतरा पटवारी क्षेत्र आसोतरा मू-निरीक्षक क्षेत्र आसोतरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 1197, 1198, 2401/1198, 2402/1198, रकबा कमशः 0-03, 1-05, 3-10, 3-00 बीघा व विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
वालोतरा

राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मददेनजर )कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कभिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।



क्रमांक /रीडर/ 2022/ १62

दिनांक :- 20/8/22

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें ।

(निदेश सीमा) -  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

जयप्रसन्न अधिकारी,  
(निदेश सीमा)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा